5 अध्याय

प्रमुख अधिनियम, विधेयक एवं अध्यादेश

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- विभिन्न विधेयकों, प्रमुख अधिनियमों एवं महत्त्वपूर्ण अध्यादेशों की जानकारी।
- प्रत्येक अधिनियम, विधेयक एवं अध्यादेश से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य उद्देश्य, कार्य विधियाँ, गठन एवं इनके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी?

प्रमुख अधिनियम, विधेयक एवं अध्यादेश (Important Act, Bill, Ordinance)

तालिका 5.1: प्रमुख अधिनियम, विधेयक एवं अध्यादेश

विधेयक	संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
1. नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनयम, 2016 *नोट*—सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलोत ने लोक सभा में इस विधेयक को पेश किया था।	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • नि:शक्त व्यक्तियों की श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की गयी ताकि दिव्यांगों को केन्द्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। • सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को दिया जाने वाला आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% करने का प्रावधान। *नोट*—यह कानून समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लेगा।
2. बालश्रम (निषेध एवं विनियम) संशोधन अधिनियम, 2016	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • इस विधेयक में सभी व्यवसायों या उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने पर पाबंदी है। • इस विधेयक के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना संगीन अपराध माना जायेगा और इसके लिए नियोक्ता के साथ बच्चे के माता-पिता को भी दंडित किया जायेगा। • विधेयक में 14-18 आयु वर्ग के बीच के बच्चों को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया और उनसे किसी खतरनाक उद्योग (83 क्षेत्रों के स्थान पर केवल 3 क्षेत्र ही खतरनाक माने गये है) में काम नहीं कराया जायेगा।

(Continued)

विधेयक	संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
	• किसी बच्चे को काम पर रखने पर कैद की अवधि 6 महीने से 2 वर्ष कर दी गयी (पूर्व में 3 महीने से 1 वर्ष का सजा का प्रावधान था) और जुर्माना 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया गया। दूसरी बार अपराध करने पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। *नोट—* • हालांकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े कार्यों में मदद कर सकते हैं। • 12 जून को प्रत्येक वर्ष बालश्रम निषेध अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। • यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुरूप है।

3. दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016

उद्देश्य

यह संहिता भारत में, दिवालियापन संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये एक फ्रेमवर्क का निर्माण करती है, जिसके अन्तर्गत कंपनियों एवं व्यक्तियों के लिये एक समान-प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए 180 दिनों में दिवालियापन संबंधी मामलों को निपटाने का प्रावधान किया गया है। इस समय अवधि को अधिकतम 90 दिन तक बढ़ाया जासकता है परन्तु समाधान प्रक्रिया का विस्तार एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा।

कार्य विधि

- यह संहिता कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी कंपनियों, (Pvt. Ltd.) व्यक्तियों एवं भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य संस्थाओं पर लागू होगा।
- दिवालियापन निपटारा प्रक्रिया में लेनदार (Creditor) और कर्जदार (Debtor) दोनों को शामिल किया जाएगा। यदि 180 दिन बीतने के बाद भी दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंचते तो लेनदार को संपत्ति बेचकर बकाया राशि की वसूली का अधिकार होगा।
- यह संहिता कर्जदार व्यक्तियों को नई शुरूआत करने का मौका भी प्रदान करेगा।
- संहिता के तहत निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत पात्र व्यक्ति 35,000 की रूपये की ऋणमाफी के योग्य होगा।
- यदि कर्जदार की विदेश में स्थित संपत्ति है तो केन्द्र के पास संबंधित देश से समझौते करने का अधिकार होगा।

दण्ड

इस संहिता में कारपोरेट दिवालियापन व व्यक्तिगत दिवालियापन के लिये अलग-अलग दंड के प्रावधान है:-

कार्पोरेट दिवालियापन	व्यक्तिगत दिवालियापन
कारपोरेट दिवालियापन के तहत किये गए अपराधों जैसे: संपत्ति को छिपाना आदि के लिये कर्जदार को 5 वर्ष का कारावास या 1 करोड़ रूपये का जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिया जा सकता है।	व्यक्तिगत दिवालियापन मामलों में किये गये अपराधों जैसे: गलत सूचना प्रदान करना आदि के लिये दण्ड की मात्रा अपराध के अनुसार अलग-अलग होगी। अधिकतर ऐसे मामलों के लिये 6 माह का कारावास या 5 लाख का जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।

संस्थाओं का गठन

इस संहिता को लागू करने के लिये संस्थाओं का गठन किया गया है तथा उन्हें अलग-अलग कार्य क्षेत्र के लिये शक्तियाँ प्रदान की गयी है।

(Continued)

तालिका 5.1: प्रमुख अधिनियम, विधेयक एवं अध्यादेश *(Continued)*

विधेयक	संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
संस्था	कार्यक्षेत्र/गठन का उद्देश्य
दिवाला निपटान एजेंसिया	दिवाला निपटान प्रक्रिया, लाइसेंस प्राप्त दिवालिया पेशवर (Insolvency Professional) की देखरेख में किया जायेगा। इन दिवालिया पेशेवर के कामकाज को विनियमित (Regulate) करने और आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **दिवाला निपटान एजेंसियाँ** गठित की जायेंगी।
भारतीय दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड	इस नियामक अर्थात् बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य दिवाला निपटान पेशेवरों, एजेंसियों व सूचना अवस्थाओं के लिये नियामक का कार्य करना है। इस बोर्ड में कुल 10 सदस्य होंगे, जिनमें भारत सरकार व आरबीआई के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)	इस संहिता के अंतर्गत कंपनियों व सीमित देयता भागीदारी कंपनियों के मामलों की सुनवाई के लिये जिस न्यायाधिकरण को जिम्मेदारी दी गयी है, वह NCLT है।
ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	इस संहिता के अंतर्गत व्यक्तियों एवं साझीदारी फर्मों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी DRT को सौंपी गयी है।
दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संबंधी निधि	यह संहिता एक दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संबंधी निधि के निर्माण का भी प्रावधान करती है। इस निधि में कोई भी व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है। यदि भविष्य में उस व्यक्ति पर दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की जाती है, तब उस व्यक्ति को कर्ज के भुगतान के लिये इस निधि से धन निकालने की अनुमति दी जाएगी।
4. ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता (संशोधन) बिल, 2017	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • वर्ष 2016 में आईबीसी (IBC) संसद द्वारा पारित किया गया था परन्तु इस कानून में संशोधन की आवश्यकता के चलते, उस समय सत्र चलन में नहीं था इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 23 दिसम्बर 2017 को अध्यादेश जारी किया गया और जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र प्रारम्भ हुआ। अध्यादेश को संसद के समक्ष प्रस्तुत कर पारित किया गया और अब इसका नाम **ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता (संशोधन) बिल 2017** हो गया। • संशोधन बिल के द्वारा नई धारा 29A तथा 235A को जोड़ा गया है। • नई धारा 29A के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति समाधान की योजना पेश नहीं कर सकेगा जिसने जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाया हो, जिसके खाते एक वर्ष या उससे अधिक समय से एनपीए (NPA) की बड़ी श्रेणी में डाल दिये गये और जो समाधान की प्रक्रिया आने से पहले ब्याज समेत अपना बकाया नहीं चुका पाया हो। साथ ही वे लोग भी समाधान योजना में भाग नहीं ले पायेंगे जिसने इस तरह की कम्पनी अथवा खाते के लिए कारपोरेट गारन्टी दी है और जो व्यक्ति ऐसी कम्पनी का प्रवर्तक है या उसके प्रबन्धकीय नियंत्रण के अधीन है। • नई धारा 29A लागू होने से दिवालिया कम्पनी के प्रवर्तक दौड़ से बाहर हो जायेंगे।
5. दिवालियापन और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक 2017	
लोक सभा में पारित	29 दिसम्बर, 2017
राज्य सभा में पारित	2 जनवरी, 2018

(Continued)

विधेयक	संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
महत्वपूर्ण तथ्य	• इस संशोधन विधेयक में संहिता की कमियों को दूर करने के साथ ही विलफुल डिफॉल्टर्स को कंपनी का स्वामित्व देने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। ***नोट***—यह विधेयक दिवालियापन एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2017 का स्थान लेगा।
6. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2016	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • यह अधिनियम खनन क्षेत्र को विनियमित करता है। • यह विधेयक खान संचालन, लीज प्राप्त करने और आवंटित करने से संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। • इस संशोधन के द्वारा निलामी अथवा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त खान की लीज को पट्टेदार, सरकार की पूर्व सहमति से किसी अन्य को हस्तांतरित कर सकेगा। • यदि सरकार 90 दिनों के अन्दर अपनी सहमति नहीं देती है तो सहमति मान ली जाएगी। यदि सरकार 90 दिनों के अन्दर असहमति देती है तो हस्तांतरण नहीं हो सकेगा। ***नोट***—इस विधेयक द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया है।
7. रियल स्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम, 2016	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • यह विधेयक, रियल स्टेट परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता को बढ़ावा देकर विनिर्माण उद्योग की साख को बढ़ावा देने से संबंधित है। • 'जमीन' का राज्य सूची का विषय होने के नाते सभी राज्य अपने स्तर पर Real Estate Regulatory का गठन करेंगे। इसे ठीक उसी प्रकार अधिकार प्राप्त है, जैसे शेयर बाजार में SEBI को और बीमा क्षेत्र में IRDA को। • प्रत्येक ऐसे बिल्डरों, जिनकी परियोजना 500 वर्ग मीटर तथा 8 अपार्टमेंटो से अधिक की है Real Estate Regulatory में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें परियोजना संबंधी सभी जानकारी जैसे- प्रमोटर के पूर्व के इतिहास, निर्माणाधीन जमीन की स्थिति, परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा, लेआउट प्लान, रियल स्टेट एजेंटों और ठेकेदारों के साथ हुए समझौते के विषय में प्राधिकरण के समक्ष खुलासा करना होगा। • प्रमोटर को परियोजना निर्माण के लिए खरीददारों से लिए गए पैसे का 70 फीसदी एक अलग खाते में बैंकों के पास जमा कराना होगा। यह व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि रियल स्टेट डेवलपर जिस परियोजना के लिए ग्राहक से धन ले वह उसे उसी मद में खर्च करें। • यह विधेयक बिल्डर या डेवलपर तथा ग्राहक दोनों को ही इस बात के लिए बाध्य करता है कि तय समय सीमा के भीतर अपने दायित्वों का पालन करें। • खरीददार को संपत्ति के हस्तांतरण के पश्चात् यदि किसी प्रकार की कोई टूट-फूट या संरचनात्मक समस्या उत्पन्न होती है तो 5 वर्ष तक इसकी जिम्मेदारी डेवलपर की होगी।

(Continued)

तालिका 5.1: प्रमुख अधिनियम, विधेयक एवं अध्यादेश *(Continued)*

विधेयक	संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
	• डेवलपर द्वारा समय सीमा के भीतर सम्पत्ति का हस्तांतरण न करने अथवा खरीददार द्वारा पैसा समय पर न चुकता करने की स्थिति में 60 दिन के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जुर्माना लगाने का प्रावधान, विधेयक में किया गया है।
8. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • BIS [Bureau of Indian Standard] को भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था के रूप में स्थापित करना। • BIS मानक के अनुरूप वस्तुओं की आपूर्ति न करने वाले निर्माताओं के लाइसेंस को रद्द करने और उन उत्पादों को वापस लेने के आदेश BIS जारी कर सकता है। • BIS उपभोक्ता को मानक के अनुरूप वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति न करने पर निर्माता पर हर्जाना लगा सकता है।
नोट—यह विधेयक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का स्थान लेगा।	
9. शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और प्रमाणीकरण) अधिनियम, 2016	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • यह विधेयक उससे जुड़ा है जिसमें युद्धों के बाद (1965 और 1971 के युद्ध) काफी लोग भारत से पाकिस्तान चले गये थे। जिसके पश्चात् उनके द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्तियों पर भारत का कब्जा हो गया था। • संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि जब शत्रु सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया तो उस पर सरकार का अधिकार बना रहेगा। • संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि शत्रु सम्पत्ति उत्तराधिकार का कानून लागू नहीं होगा और इस तरह सरकार के कब्जे में आ चुकी सम्पत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होगा।
नोट—यह विधेयक 48 वर्ष पुराने शत्रु सम्पत्ति कानून, 1968 में संशोधन करने के लिये लाया गया है।	
10. संविधान (122 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • 8 सितम्बर, 2016 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोंपरांत संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ। • 101 वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। • इस संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत संविधान के **भाग-11, भाग-19, भाग-20 तथा 6ठीं व 7वीं** अनुसूची में संशोधन किया गया है। • Artical 246A, 269A तथा 279A जोड़े गये हैं। जबकि Artical 268A को समाप्त कर दिया गया। • 101 वां संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में GST के लागू होने से राज्यों को राजस्व नुकसान की 100% भरपाई का प्रावधान है।
11. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • यह विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता दिलाने वाले बड़े संवैधानिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने तथा गैर भेदभाव एवं सशक्तिकरण के मौलिक अधिकारों को पूरा करने में यह विधयेक कारगर होगा।

(Continued)

विधेयक	संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
	• यह कानून सिर्फ एक बार में तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत के मामलनों में ही लागू होगा। • कानून लागू होने के बाद एक बार में तीन तलाक गैर कानूनी होगा। यह संगीन और गैरजमानती अपराध होगा। • विधेयक के मुताबिक अब कोई पुरूष अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक देता है तो उसे अमान्य माना जायेगा। • तीन तलाक देने वाले पुरूष को सजा और जुर्माना दोनों भुगतना होगा। • पुलिस तीन तलाक देने वाले पति को बिना वांरट गिरफ्तार भी कर सकती है।
नोट—यह बिल जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा।	
12. निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • यह दोनों विधेयक 245 पुराने अप्रासंगिक कानून को समाप्त करेंगे। • विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि 70 वर्ष पुराने अप्रासंगिक कानून अब समय के अनुसार सार्थक नहीं है। साथ ही ये आर्थिक संवृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। अत: उनमें संशोधन करना आवश्यक है।
नोट—वर्तमान सरकार ने पुराने कानूनों की अप्रासंगिकता की जाँच हेतु 2014 में आर. रामानुजम समिति का गठन किया था।	
13. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2017	• केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को 20 दिसम्बर 2017 को मंजूरी दी। • इस नए विधेयक में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के गठन का प्रावधान है • इसमें ख्याति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन करने पर प्रतिबन्ध लगाने का भी प्रावधान है।
14. कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2017	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • 3 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति ने कम्पनी (संशोधन) विधेयक 2017 को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसके पश्चात यह विधेयक '**कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 2017**' बन गया। • यह अधिनियम कम्पनी की संरचना उनके द्वारा सूचनाओं का खुलासा करने और नियमों के संचालन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम 2013 का संशोधित रूप है।
15. केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017	**महत्वपूर्ण तथ्य:** • विधेयक में केन्द्रीय सड़क निधि के आगम का 2.5 प्रतिशत राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं रख-रखाव के लिए आबंटित किये जाने और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उपलब्ध हिस्से में कटौती किये जाने का प्रावधान किया गया है।
16. भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 **मंजूरी**	1 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल ने संसद में भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 (Fugitive Economic Offenders Bill 2018) को रखने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की।

(Continued)

तालिका 5.1: प्रमुख अधिनियम, विधेयक एवं अध्यादेश *(Continued)*

विधेयक	संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
उद्देश्य	आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वाले लोगों की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए लाया गया है। इस कानून के जरिए भारत से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश के सहयोग से जब्त किया जा सकेगा, ताकि देश में कानून के राज की पुर्नस्थापना हो सकें।
विधेयक के महत्वपूर्ण तथ्य	• इस विधेयक का कार्यक्षेत्र 100 करोड़ या उससे अधिक रकम के धेखाधड़ी वाले अपराधों को कवर करेगा। • किसी व्यक्ति के भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना। • अपराध के जरिए भगौड़ा आर्थिक के रूप में घोषित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना। • भगौड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना। • अपराध के फलस्वरूप व्युतपन्न संपत्ति के चलते भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किये गये व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना। • ऐसे अपराधी की बेनामी सम्पत्ति सहित भारत और विदेशों में अन्य संपत्ति को जब्त करना। • भगौड़ा आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना। • अधिनियम के अंतर्गत जब्त की गयी सम्पत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए एक प्रशासन की नियुक्ति की जायेगी।
आर्थिक भगौड़े का अर्थ	भगौड़ा आर्थिक अपराधी से एक ऐसी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरूद्ध किसी सूचीबद्ध अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वांरट जारी किया जा चुका है और जिसने आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है अथवा विदेश में रह रहा है और आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए भारत लौटने से इंकार कर रहा है।, ***नोट***—भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को अध्यादेश के रूप में 22 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया।
17. मानव तस्करी: रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास	
मंजूरी	28 फरवरी 2018 को कैबिनेट द्वारा।
उद्देश्य	देश में बढ़ती मानव तस्करी को रोकना तथा अंगों के व्यापार, बाल श्रम, बाल शोषण, गैर कानूनी ढंग से गोद लेने, युद्ध एवं आंतरिक गड़बड़ी में बच्चे के उपयोग, नशा सेवन, महिलाओं की खरीद फरोख्त आदि की समस्या से निबटना और इस पर निषेध लगाना है।
महत्वपूर्ण तथ्य	• नये कानून में मानव तस्करी से जुड़े मामले अब राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (NIA) देखेगी। • नये कानून में पीड़ित के पुनर्वास के लिए **पहली बार पुनर्वास** कोष बनाया गया है ताकि इसका उपयोग पीड़ित के शारीरिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल के लिए किया जा सकें। कोष के माध्यम से पीड़ित की शिक्षा कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक समर्थन, कानूनी सहायता और सुरक्षित निवास आदि शामिल है।

(Continued)

विधेयक	संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
18. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2017	
लोक सभा द्वारा पारित	4 जनवरी 2018
महत्वपूर्ण तथ्य	

	पूर्व की स्थिति	विधेयक में प्रस्तावित स्थिति (रु. में)
• भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन	1 लाख रूपये/माह	2 लाख 80 हजार/माह
• सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन	90 हजार रूपये/माह	2 लाख 50 हजार/माह
• उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के वेतन	80 हजार रूपये/माह	2 लाख 25 हजार/माह

19. ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2018

लोक सभा में पारित 15 मार्च, 2018

राज्य सभा में पारित 22 मार्च, 2018

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस विधेयक के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये करने का प्रावधान है।
- विधेयक के पारित होने के साथ ही निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकार के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संगठनों के उन कर्मचारियों के बीच ग्रेच्युटी को लेकर समानता हो गई, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के तहत नही आते हैं। ऐसे कर्मचारी भी अपने समकक्ष सरकारी कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी की उच्चतम राशि पाने के हकदार हो जायेंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान कानून 1972 उन प्रतिष्ठानों में लागू होता है, जिनमें 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं। इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। चाहे उनकी सेवानिवृत्ति आयु पूरी हो जाने की वजह से या शारीरिक अक्षमता या फिर शरीर के अहम हिस्से को हानि की वजह से हुई है। इसलिए ग्रेच्युटी भुगतान कानून 1972 उद्योगों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को उनकी मजदूरी दिलाने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून है।

20. भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017

गैर वन क्षेत्र में बांस को 'वृक्ष श्रेणी' से निकालने का प्रावधान करने वाले भारतीय वन (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद की मंजूरी प्राप्त हो गयी है।

21. क्रिमिनल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2018 अध्यादेश

मंजूरी 21 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा।

राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 22 अप्रैल 2018

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस अध्यादेश के जरिये भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, प्रोटेक्शन ऑफचिल्ड्रेन फ्रॉम क्रिमनल ऑफेंस (पोस्को) में संशोधन होगा।

(Continued)

तालिका 5.1: प्रमुख अधिनियम, विधेयक एवं अध्यादेश *(Continued)*

विधेयक	संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
	• अध्यादेश में दुष्कर्म के मामले की जांच दो माह में पूरी करने, दो माह के भीतर इसका ट्रायल पूरा करने तथा ऐसे मामलों में अपील के निपटारे के लिए 6 माह की अवधि तय की गयी है। • अदालत को ऐसे आरोपियों की जमानत पर फैसला करने से 15 दिन पहले लोक अभियोजक या पीड़ित के प्रतिनिधि को नोटिस देना होगा। • त्वरित निपटारे के लिए अध्यादेश में न्यायिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए भी उपाये किये गये है। इसके तहत संबंधित हाईकोर्टों और राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके फास्ट ट्रैक अदालते बनायी जायेगी। • लोक अभियोजक का पद सृजित किया जायेगा। • पुलिस थानों तथा अस्पतालों को विशेष फॉरेंसिक किट दी जायेगी। • मामलों में जांच के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त होंगे। • हर राज्य में मामले की जांच के लिए एक फॉरेंसिक लैब भी स्थापित की जायेगी।
अध्यादेश में सजा का प्रावधान	• दुष्कर्म के मामलों में न्यूनतम 7 साल के सश्रम कारावास को बढ़ाकर 10 किया, अधिकतम आजीवन किया जा सकेगा। • 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म दोषियों के न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान है और ऐसे अपराधियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जायेगी। • 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान है। • यौन अपराधियों को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनका डेटाबेस और प्रोफाइल बनाने का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो या डाटाबेस रखेगा। ***नोट***—यौन अपराधियों के डाटाबेस बनाने वाला भारत विश्व का नवाँ देश है शेष 8 देश है- 1. अमेरिका, 2. ब्रिटेन, 3. कनाडा, 4. आस्ट्रेलिया, 5. आयरलैण्ड, 6. न्यूजीलैण्ड, 7. द. अफ्रीका, 8. त्रिनिदाद और टोबेगो।